

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 13.08.2026

अवैध देशी तमंचा के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चिलुआताल के मार्गदर्शन में उ0नि0 आशीष सिंह द्वारा पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त विकेश यादव पुत्र घनश्याम यादव निवासी बड़गहन थाना गीडा जनपद गोरखपुर के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 637/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

विकेश यादव पुत्र घनश्याम यादव निवासी बड़गहन थाना गीडा जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 333/24 धारा 115(2), 126(2), 324(4), 351(3), 352 बीएनएस थाना गीडा जनपद गोरखपुर

मु0अ0सं0 692/25 धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना गीडा जनपद गोरखपुर

मु0अ0सं0 420/25 धारा 191(2), 325, 333, 351(3) बीएनएस थाना गीडा जनपद गोरखपुर

मु0अ0सं0 332/26 धारा 115(2), 189(2), 191(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 637/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

बरामदगी –

01 अदद अवैध देशी तमंचा

गिरफ्तारी की टीम -

1. उ0नि0 आशीष सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. का0 विवेक सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. का0 अमरजीत यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
4. का0 विनीत वर्मा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर